

# न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला-गंगापुर सिटी

मु.नं. : 46 / 2024

तारीख रजू 08.07.2024

निर्णय दिनांक 18.07.2024

सरकार बनाम घनश्याम

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खूटलां सलौना ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि घनश्याम पुत्र कल्याण जाति ब्राहमण निवासी सहजपुर ने ग्राम सहजपुर के खसरा नं. 183 में कुल रकबा 0.08 है० किस्म गै०मु० पशुस्थान पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से दुपल्ला सात गह पक्का, बाउण्डी, टीन सेड अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायलान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब इस आशय पेश किया कि द्वारा प्रार्थी का किसी भी सरकारी भूमि में कोई कब्जा नहीं किया है यदि भूलवश कोई कब्जा हो गया है तो उसे हटा लेगा। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान द्वारा उक्त भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा दुपल्ला सात गह पक्का, बाउण्डी, टीन सेड अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावे एवं इन पर लगान 1.36/- की 50 गुना शास्ति 68/-रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवे। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर "घ" के पेज संख्या .....  
पर रुपये 68/- की कायमी वर्ष  
2024-25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

(सुधारानी मीना)  
तहसीलदार